न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 06/24 (दावा) विमला बनाम ओमप्रकाश वगैरह

किस्म मुकदमा–वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.07.2024	वादिया की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत् दावा घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो हेतु प्रस्तुत होने पर आज पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादिया की ओर से प्रार्थना पत्र मिसल तलबी एवं विड्रो हेतु निवेदन किया कि उक्त उनवानी प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली को विड्रो करना चाहती है। प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर उनवानी प्रकरण को विड्रो करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। हमने स्वयं वादिया को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते है तथा उक्त प्रकरण की पत्रावली को विड्रो करना चाहती है। दावा के प्रत्याहरण की अनुमति देने में कोई विधिक अड़चन नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत् दावा घोषणा खातेदारी, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो करने को स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आगे नहीं चलाने एवं विड्रो करने के कारण वादिया का वाद खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश लिखाया जाकर सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	विमला ओमप्रकाश